क्रम-संख्या—326

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 नवम्बर 2007

कार्तिक 30, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2363/79-वि0-07-1(क)-41-2007

लखनऊ, 21 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) धारा 3 और 5, 31 जुलाई, 2007 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे, धारा 2 और 4, 25 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे और शेष उपबंध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 122-ख का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 122-ख में उपधारा (4—च) में, शब्द और अंक "01 मई, 2002" के स्थान पर शब्द और अंक "13 मई, 2007" रख दिए जायेंगे।

धारा 122-ग का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 122-ग में, उपधारा (3) में,—

"(क) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

(1) ग्राम सभा में निवास करने वाला और अधिमान क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी से सम्बन्धित कोई खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार :—

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति;

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति;

(ग) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति"

(ख) खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) ग्राम सभा में निवास करने वाला और अधिमान क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में किसी भी श्रेणी से सम्बन्धित कोई अन्य व्यक्ति :—

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति;

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति;

(ग) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति;"

धारा 123 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 123 में शब्द और अंक "1 मई, 2002" के स्थान पर शब्द और अंक "13 मई, 2007" रख दिये जायेंगे।

धारा 198 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 198 में, उपधारा (1) में,—

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) मण्डल में निवास करने वाला और अधिमान क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी का भूमिहीन खेतिहर मजदूर :—

(एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति;

(दो) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति;

(तीन) गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति;"

(ख) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ज) कोई अन्य भूमि हीन खेतिहर मजदूर, जो मण्डल में न रहता हो किन्तु संयुक्त प्रान्त पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 42 में, निर्दिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में रहता हो और अधिमान क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी का हो :—

(एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति;

(दो) अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति;

(तीन) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति;"

निरसन और अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2007 और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 31 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951) की धाराओं 122-ग और 198 में क्रमशः अनुसूचित जातियों, खेतिहर मजदूरों आदि के सदस्यों के लिये भूमि आवंटित किये जाने तथा धारा 195 और 197 के अधीन व्यक्तियों को भूमि उठाने में अधिमान क्रम की व्यवस्था है। यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त धाराओं में संशोधन करके अधिमान क्रम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्रथम स्थान पर, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को द्वितीय स्थान पर और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को अन्त में रखे जाने की व्यवस्था की जाय। राज्य विधान मण्डल के सत्र में न होने के कारण उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2007 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

2–धारा 122-ख की उपधारा (4–च) में यह व्यवस्था है कि जहाँ अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के किसी खेतिहर मजदूर के पास गांव सभा में निहित किसी ऐसे भूमि का अधिभोग हो जिसे उसने 1 मई, 2002 के पूर्व प्राप्त किया हो और उक्त दिनांक से पूर्व भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उसके द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, सहित इस प्रकार अधिमुक्त भूमि 1.26 हेक्टेयर से अधिक न हो वहाँ उक्त धारा के अधीन भूमि प्रबन्ध समिति या कलेक्टर द्वारा ऐसे मजदूर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और उसे उस भूमि के असंक्रमणीय अधिकारों सहित भूमिधर के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उक्त अधिनियम की धारा 123 में भू-स्वामी सहित ऐसे किसी भवन स्थल के व्यवस्थापन की व्यवस्था है जिसे धारा 122-ग की उपधारा (3) में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो और 1 मई, 2002 को विद्यमान हो। यह विनिश्चय किया गया कि उक्त धाराओं में संशोधन करके उक्त दिनांक को 1 मई, 2002 से बढ़ाकर 13 मई, 2007 कर दिया जाय। राज्य विधान मण्डल के सत्र में न होने के कारण राज्यपाल द्वारा उक्त विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये दिनांक 25 अगस्त, 2007 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 31 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

3–यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै० मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 2363/LXXIX-V-1-07–1 (Ka)41-2007
Dated Lucknow, November 21, 2007

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zamindari Vinash Aur Bhumi Vyavastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 38 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 19, 2007.

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 38 OF 2007)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2007.

(2) Sections 3 and 5 shall be deemed to have come into force on July 31, 2007, sections 2 and 4 shall be deemed to have come into force on August 25, 2007 and the rest provisions shall come into force at once.

Amendment of section 122-B of U.P. Act no. 1 of 1951

2. In section 122-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Reforms Act, 1950, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (4-1 the word and figures "May 01, 2002" the word and figures "May 13, 2007" sh *substituted.*

Amendment of section 122-C

3. In section 122-C of the principal Act, in sub-section (3),–

(a) for clause (i) the following clause shall be *substituted,* namely :–

"(i) an agricultural labourer or a village artisan residing in the Sabha and belonging to any of the following categories in the preference:–

(a) persons belonging to the Scheduled Castes and the Tribes;

(b) persons belonging to other backward classes;

(c) persons belonging to the general category living below line;"

(b) for clause (iii) the following clause shall be *substituted,* namely :–

"(iii) any other person residing in the Gram Sabha and belonging to any of the following categories in the order of preference :–

(a) persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(b) persons belonging to other backward classes;

(c) persons belonging to the general category living below poverty line;"

Amendment of section 123

4. In section 123 of the principal Act, *for* the word and figures "May 1, 2002" the word and figures "May 13, 2007" shall be *substituted.*

Amendment of section 198

5. In section 198 of the principal Act, in sub-section (1),–

(a) for clause *(c),* the following clause shall be *substituted,* namely :–

"*(c)* a landless agricultural labourer residing in the circle and belonging to any one of the following categories in the order of preference :–

(i) persons belonging to the Schedule Castes or Schedule Tribes;

(ii) persons belonging to other backward classes;

(iii) persons belonging to the general category living below poverty line;"

(b) for clause *(h),* the following clause shall be *substituted,* namely :–

"*(h)* any other landless agricultural labourer, not residing in the circle, but residing in the Nyaya Panchayat circle referred to in section 42 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 and belonging to any of the following categories in the order of preference :–

(i) persons belonging to the Schedule Castes or Schedule Tribes;

(ii) persons belonging to other backward classes;

(iii) persons belonging to the general category living below poverty line;"

Repeal and Saving

6. (1) The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Ordinance, 2007 and the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Second Amendment) Ordinance, 2007 are hereby Repealed. U.P. Ordinance no. 18 of 2007 and U.P. Ordinance no. 31 of 2007

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 122-C and 198 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U.P. Act no. 1 of 1951) provide respectively for allotment of land for members of Scheduled Castes, agricultural labourers etc. and order of preference in admitting persons to land under sections 195 and 197. It was decided to amend the said sections to provide for placing the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes first, the persons belonging to other backward classes second and the persons belonging to general category living below poverty line at the last in order of preference. The State Legislature not being in session the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 18 of 2007) was promulgated by the Governor on July 31, 2007 to implement the said decision.

2. Sub-section (4-F) of section 122-B provides that where any agriculture labourer belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes is in occupation of any land vested in the Gaon Sabha having occupied it from before May 1, 2002 and the land so occupied together with land if any, held by him from before the said date as bhumidhar, sirdar or asami does not exceed 1.26 hectares them no action under the said section shall be taken by the land Management Committee or the Collector against such labourer and he shall be admitted as bhumidhar with non-transferable rights of that land. Section 123 of this said Act provides for settlement of a housesite with the owner of the land which has been built by any person mentioned in sub-section (3) of section 122-C and exists on May 1, 2002. It was decided to amend the said sections to extend the said date from May 1, 2002 to May 13, 2007. The State Legislature not being in session the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Second Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 31 of 2007) was promulgated by the Governor on August 25, 2007 to implement the said decision.

3. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinances.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 707 राजपत्र (हि०)–2007–(1727)–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 364 सा० विधा०–2007–(1728)–850–(कम्प्यूटर/आफसेट)।